रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072020-220737
CG-DL-E-29072020-220737

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
No. 367] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

सं. 02/2020- सीमा शुल्क (एस जी)

सा.का.नि. 471(अ).— जहां कि "सोलर सेल्स चाहे वे मॉड्यूल्स या पैनल्स में जोड़े गए हों अथवा नहीं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आते हैं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2018-सीमा शुल्क (एस जी), दिनांक दिनांक 30 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि. 717(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए रक्षोपाय शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 22/1/2020-डीजीटीआर के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 22/1/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जुलाई, 2020, जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु के आयात पर लगे रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

अत:, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान और रक्षोपाय शुल्क का आंकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12, 14, 17 और 18 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) और (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा विषयगत वस्तु जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आता है पर , जब उनका आयात भारत में हुआ हो, निम्नलिखित दर से रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है, यथा:-

(क) चौदह दशमलव नौ प्रतिशत मूल्यानुसार घटा देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, जब इनका आयात 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 (दोनों दिवस शामिल हैं) की अवधि में होता हो; और

(ख) चौदह दशमलव पांच प्रतिशत मूल्यानुसार घटा देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, जब इनका आयात 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 (दोनों दिवस शामिल हैं) की अवधि में होता हो।

2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और वियतनाम को छोड़कर उन विकासशील देशों से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात पर लागू नहीं होगी जिनको अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमाशुल्क (गेटे) दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 354/31/2018-टीआरयू (पार्ट 3)]

जे.एस. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

No. 02/2020-Customs (SG)

G.S.R. 471(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 22/1/2020-DGTR, dated the 3rd March 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th March, 2020, had initiated a review, in the matter of continuation of safeguard duty on imports of "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 8541 40 11 or 8541 40 12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) , imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2018- Customs (SG) dated the 30th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 717 (E), dated the 30th July, 2018;

And whereas, in the matter of review of safeguard duty on imports of the subject goods, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 22/1/2020 - DGTR, dated the 18th July, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th July, 2020 has recommended continued imposition of the safeguard duty on imports of the subject goods, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 8B of the Customs Tariff Act read with rules 12, 14, 17 and 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, after considering the said findings of the designated authority and subject to the provisions of paragraph 2, hereby imposes on subject goods falling under tariff items 8541 40 11 or 8541 40 12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the following rate, namely:-

(a) fourteen point nine per cent. *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th July, 2020 to 29th January, 2021 (both days inclusive); and

(b) fourteen point five per cent. *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th January, 2021 to 29th July, 2021 (both days inclusive).

2. Nothing contained in this notification shall apply to imports of subject goods from countries notified as developing countries *vide* notification No. 19/2016-Customs (N.T.), dated the 5th February, 2016, except People's Republic of China, Thailand and Vietnam.

[F.No.354/31/2018-TRU (pt.3)]

J.S.KANDHARI, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.07.29 21:15:24 +05'30'